


HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. C/4121
III-6-4/57

Jabalpur, dated 22/05/2024

Copy of the notification of the Government of M.P. F. No. 1920/2024/21-B(1), Bhopal dated 14.05.2024, under Rule 8 (1) of M.P. Vishesh Nyayalaya Niyam 2012 (No. 8 of 2012) and sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. P.S. to the Registrar General, Principal Registrar (Judicial), Principal Registrar (Vigilance) and Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, all in the State. The Principal District and Sessions Judges; Bhopal, Jabalpur, Gwalior and Indore for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of M.P., Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information;


RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

Scanned

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 14/05/2024

फा.क्रमांक 1920/इक्कीस-ब(एक)/2024, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्रमांक 17(ई)-8-2012- इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 3 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रं.	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री सचिन कुमार घोष, अठारहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल	भोपाल	राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र
3.	श्री सुनील मालवी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	जबलपुर	राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र
7.	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, चौबीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर	इन्दौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र ।।।

NOTIFICATION

F.No-1920/21-B(1)/2024- In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F.No. 17(E)8-2012-/XXI-B(One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30th March, 2012, namely:

//2//

(Amendment)

In the said Notification, in the table, for serial numbers 2, 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Shri Sachin Kumar Ghosh, XVIII th District and Additional Sessions Judge, Special Court No. 2 Bhopal	Bhopal	Revenue Districts Bhopal, Sehore, Raisen and Rajgarh.
3.	Shri Sunil Malvi, II nd District and Additional Sessions Judge, Special Court No. 1 Jabalpur	Jabalpur	Revenue District Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol and Anuppur
7.	Shri Tajinder Singh Ajmani, XXIV th District and Additional Sessions Judge, Special Court No. 1 Indore	Indore	Revenue District Dewas, Ratlam, Shajapur, Ujjain, Mandsaur, Neemuch and Dhar.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(धर्मपाल सिंह शिवाच)

सचिव


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क० 1920/21-ब(एक)/2024,

भोपाल, दिनांक 14/05/2024

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. सी/3340/III-6-4/57-42 दिनांक 16.04.2024 के संदर्भ में,
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, जबलपुर एवं इन्दौर, म०प्र०,
3. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राज पत्र भाग-1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित,
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।



(निलेश यादव) 14/05/24
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 14/05/2024

फा.क्रमांक 1920/2024/21-बी (एक), मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन मामलों का विचारण करने हेतु, जिसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु. क्रं.	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री सचिन कुमार घोष, अठारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल	विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल	भोपाल
3.	श्री सुनील मालवी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	जबलपुर
7.	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, चौबीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर	इन्दौर।।।

//2//

NOTIFICATION

F.No-1920/2024/21/B(One) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011, (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government with the concerance of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this departments Notification F.No. 17(E)8-2012-/XXI-B(One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30th March, 2012, to try the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) for which a declaration under sub-section (1) of section 5 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) has been made by the Government of Madhya Pradesh, namely:-

(Amendment)

In the said Notification, in the table, for serial numbers 2, 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name Judge	Name of Special Court Constituted u/s 3(1) of Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011	Headquarters
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Shri Sachin Kumar Ghosh, XVIIIth District and Additional Sessions Judge, Bhopal	Special Court No. 2, Bhopal.	Bhopal
3	Shri Sunil Malvi, IInd District and Additional Sessions Judg, Jabalpur	Special Court No. 1, Jabalpur.	Jabalpur
7	Shri Tajinder Singh Ajmani, XXIVth Disctict and Additional Sessions Judge, Indore	Special Court No. 1, Indore.	Indore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(धर्मपाल सिंह शिवाच)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//3//

पृ.क्र. 1920/21-ब(एक)2024,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14/05/2024
15

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. सी/3340/III-6-4/57-42 दिनांक 16.04.2024 के संदर्भ में,
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, जबलपुर, एवं इन्दौर
3. उप नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र. (राज पत्र भाग-1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित,
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

Madan 14/05/24
(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

